



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921

No. 646]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1999

का.आ. 1051(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 678 (अ) तारीख 10 अक्टूबर, 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित निदेश देती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
" (1)	12 मक्का इन्ब्रेड लाइन्स	80%	98%
	12 क. मक्का सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स अन्य प्रकार के हाइब्रिड्स, कम्पोजिट्स, सिन्थेटिक्स और ओपन पोलिनेटिड किस्में	90%	98%"

(2) उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. 17-23/99-एस.डी.-IV]

गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1999

S.O. 1051(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby directs the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) vide S. O. 678(E) dated 10th October, 1991 as follows:

In the said notification for Sl. No. 12 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“(1)	12. Maize-Inbred lines	80%	98%
	12A. Maize-Single cross hybrids, other type of hybrids, Composites, Synthetics and open Pollinated varieties	90%	98%”

(2) This notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 17-23/99-SD.IV]

GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.